

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
पुराना नर्सिंग हास्टल,डी0के0एस0भवन परिसर,
रायपुर छ0ग0

कमांक / 8549 / छात्र / संचिशि / 2018

रायपुर, दिनांक 16/07/2018

प्रति,

अध्यक्ष,
स्क्रुटनी समिति एवं प्रवेश समिति,
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय,
रायपुर।

विषय:- स्क्रुटनी दस्तावेज बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2018 के नियम 7(xxi)ब के तहत सूचीबद्ध आवश्यक दस्तावेजों में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एवं माईग्रेसन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थी को समय दिया जा सकेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी जो दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आबंटन प्राप्त किये है किन्तु वे इस आबंटित दंत चिकित्सा महाविद्यालय की सीट नहीं चाहते है तो उनसे प्रवेश नहीं लेने बाबत शपथ पत्र देकर, नियम 7(xxi)ब के दस्तावेजों से छूट प्राप्त कर सकेंगे तथा नियमानुसार स्क्रुटनी में पात्र होने पर द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे, किन्तु वर्तमान में आबंटित दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

संचालक चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़

(50/- रु. के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

// शपथ पत्र //

शपथकर्ता के
पासपोर्ट
साईज
फोटो

मैं (नाम)

आत्मज/आत्मजा निवासी

घोषणा करता हूँ कि मैं वर्तमान में आबंटित दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना नहीं चाहता हूँ। अतः स्क्रुटनी एवं प्रवेश दस्तावेजों संवीक्षा में प्रवेश नियम 2018 के बिन्दु क्रमांक 7 (xxi)ब के प्रवेश दस्तावेजों की संवीक्षा से छूट चाहता हूँ, तथा मुझे ज्ञात है कि इस प्रकार की स्क्रुटनी में पात्र होने के उपरान्त केवल द्वितीय काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकूंगा/सकूंगी। किन्तु वर्तमान में आबंटित दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अपात्र रहूंगा/रहूंगी।

स्थान :-

दिनांक :-

शपथकर्ता का हस्ताक्षर.....

शपथकर्ता का नाम

अकषाडि
A202